

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध वाद संख्या- 44888/2016

पीएस से उत्पन्न. कांड संख्या-470 वर्ष-2014 थाना-आरा नगर जिला-भोजपुर

=====

- 1. मेसर्स मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार राजगढ़िया, पिता-स्वर्गीय दीप चंद राजगढ़िया, सपना सिनेमा रोड, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर, आरा
- 2. अमीर रॉय, स्वर्गीय नंद लाल रॉय के पुत्र, मेसर्स माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड के गोदाम प्रभारी, सपना सिनेमा रोड, थाना- आरा टाउन, जिला- भोजपुर, आरा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

..... प्रतिवादी

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता,
विपक्षी पक्ष/ओं की ओर से : श्री अनिल कुमार सिंह नंबर 1, एपीपी

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005—धारा 81(4) —विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908—धारा 5—अभिखंडित—संज्ञान आदेश का—याचिकाकर्ताओं ने कर योग्य वस्तुओं पर करों का भुगतान नहीं किया—याचिकाकर्ता निदेशक-सह-ट्रांसपोर्टर और गोदाम परिवहन एजेंसी के प्रभारी हैं जिसमें बिक्री कर अधिकारी ने निरीक्षण करते समय पाया कि कर योग्य वस्तुओं को सड़क परमिट के बिना ले जाया जा रहा था—याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 2005 की धारा 81 (2) के संदर्भ में दंड का भुगतान किया है—संस्वीकृति के बिना संज्ञान लिया गया था, जो अधिनियम की धारा 82 (2) की पूर्व शर्त है—कंपनी को सूचक द्वारा आरोपी नहीं बनाया गया था— संज्ञान के आदेश विवादित आदेश, जिसके सभी परिणाम कार्यवाहियों के साथ अपास्त और अभिखंडित किया जाता है—आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पैरा 14 से 16)

(1992) अनुपूरक (1) एस.सी.सी. 335; (2020) 3 एस.सी.सी. 240—निर्भर किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक : 01-05-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा भोजपुर, आरा के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आरा (नगर) थाना कांड संख्या- 470/2014 में पारित दिनांक 14.03.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान क्षेत्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'बीवीएटी अधिनियम, 2005') की धारा 81(4) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक अर्थात आरा अंचल के बिक्री कर अधिकारी राजीव रंजन प्रसाद ने दिनांक 12.12.2014 को आरा (नगर) थाना के प्रभारी के समक्ष लिखित सूचना दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि दिनांक 10-11.12.2014 को उन्होंने सपना सिनेमा रोड, आरा स्थित मेसर्स मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड के कार्यालय सह गोदाम का निरीक्षण किया। आगे यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कर योग्य माल को बी.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 61(1) का उल्लंघन करते हुए बिना रोड परमिट के परिवहन करना, पाया गया, और इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 61(2) के तहत जब्त कर लिया गया, क्योंकि पाया गया कि माल परिवहन एजेंसी और उसके कर्मचारी की मिलीभगत से क्रेता डीलरों को कर की चोरी में मदद करने के लिए परिवहन किया जा रहा था, जो उक्त बी.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 81(4) के तहत दंडनीय है। कथित जब्त माल को उसकी सुरक्षा के लिए ट्रांसपोर्टर को उसके जिम्मानामा पर दिया गया था। अतः उच्च प्राधिकारी के निर्देश पर, सूचक द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने हेतु पुलिस में मामला दर्ज करने की प्रार्थना की गई।

4. सूचक द्वारा उठाए गए उपरोक्त तथ्यात्मक आरोप की पृष्ठभूमि में, बी.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 की धारा 81(4) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरा (टाउन) थाना वाद संख्या- 470/2014 के रूप में एक

प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपित संज्ञान आदेश कानून की नजर में खराब है, क्योंकि इसे बी.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 की धारा 82(2) के तहत बिना किसी पूर्व मंजूरी के लिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब्ती सूची के अनुसार, याचिकाकर्ताओं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, के गोदाम से बरामद माल को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिसके लिए अलग-अलग 2,800/- रुपये और दूसरी बार 1,72,761=00 रुपये का जुर्माना अदा किया गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह बी.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 की धारा 81(4) के तहत उल्लिखित किसी भी दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करने के लिए किसी भी तरह से किसी भी भुगतान या कर से बचने का वैध प्रयास था।

6. जब्ती सूची पर संदेह करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने बी.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (2) के प्रावधान का सहारा लिया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस उपधारा के अन्तर्गत माल की जब्ती केवल ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जा सकती है, जो इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है। इस पर डीलर या माल के प्रभारी व्यक्ति तथा कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन इस मामले में जब्ती सूची तैयार करते समय कानून के इन अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

7. विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या- 1 मेसर्स माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड (संक्षेप में 'कंपनी') का निदेशक है, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (जैसा कि 2013 में संशोधित किया गया है) के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र निकाय है, जो प्रतिनिधि दायित्व की कानूनी कल्पना को स्थापित करता है और केवल इसी आधार पर याचिकाकर्ता संख्या- 1 के संज्ञान आदेश को रद्द/निरस्त किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 कंपनी का गोदाम प्रभारी है, जहाँ आगे के परिवहन के लिए माल को पारगमन में संग्रहीत किया गया था। जब्ती सूची से यह स्पष्ट है कि माल में पटाखे और होजरी के सामान थे और इस तरह, धारा 5 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए मुख्य घटक, एक वैध वस्तु के लिए विस्फोटक पदार्थ के कब्जे के बारे में उचित संदेह होना, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

8. कानूनी प्रावधानों का आश्रय लेते हुए तर्क का समापन करते हुए, जैसा कि पूर्वोक्त चर्चा की गई है, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के संबंध में संज्ञान आदेश

कानून की नजर में खराब हैं और ऐसा प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य [(1992) सप. (1) एससीसी 335] और सुशील सेठी और अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2020) 3 एससीसी 240] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कानूनी रिपोर्टों का हवाला दिया।

9. श्री अनिल कुमार सिंह नं. 1, विद्वान एपीपी ने वर्तमान आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि संज्ञान लेने के बाद भी किसी भी स्तर पर मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। यह भी दलील दी गई कि केवल जुर्माना भरने से यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।

10. इस प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए बी.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 की धारा 61(2), 81 और 82 का अवलोकन करें, जो निम्नानुसार हैं:-

61. माल की आवाजाही पर प्रतिबंध.-

(1) xxx xxx xxx

(2) कोई प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए, यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए क्या कोई माल उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में परिवहन किया जा रहा है, किसी माल वाहक, वाहन या जलयान को रोक सकेगा, रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा भंडागार या गोदाम या किसी अन्य ऐसे भंडारण स्थान की भी तलाशी ले सकेगा, जहां माल परिवहन के दौरान रखा जाता है और यदि उक्त प्राधिकारी ऐसे सत्यापन और तलाशी से संतुष्ट हो जाता है कि माल का परिवहन उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी माल को ऐसे माल की पैकिंग के लिए किसी कंटेनर या सामग्री सहित जब्त कर सकेगा:

बशर्ते, इस उपधारा के अधीन अभिगृहित समस्त माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी तथा उस पर अधिकारी, व्यापारी या माल के प्रभारी व्यक्ति तथा कम से कम दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा अभिग्रहण सूची की एक प्रति, जब्ती सूची प्रभारी व्यक्ति को सौंप दी जाएगी।"

81. अपराध और दंड-(1) जो कोई-

(ए) धारा 19 का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए बिना पंजीकृत हुए डीलर के रूप में कारोबार करता है, या

(बी) धारा 23 द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, या

(सी) धारा 59 के अधीन ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, निर्देशों के अनुसार कोई लेखा या अभिलेख रखने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहेगा, या

(डी) धारा 24 के तहत अपेक्षित कोई विवरणी निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करने में बिना पर्याप्त कारण के विफल रहेगा, तो दोषसिद्धि पर उसे दोनो में से किसी भी प्रकार का कारावास, एक अवधि के लिए जो तीन माह से कम नहीं होगा, लेकिन जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है एक हजार रुपये से अधिक नहीं।

(2) जो कोई-

(क) धारा 52 की उपधारा (1) या धारा 53 के उल्लंघन में अपने द्वारा खरीदे या बेचे गए माल के मूल्य का जानबूझकर गलत हिसाब रखता है, या

(ख) किसी भी तरीके से किसी भी कर, जुर्माना या ब्याज के भुगतान से बचने का जानबूझकर प्रयास करता है, तो दोषसिद्धि पर, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन एक वर्ष तक बढ़ सकती है और दो हजार रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(3) जो भी-

(क) धारा 19 के अधीन पंजीकृत व्यापारी न होते हुए, यह मिथ्या व्यपदेशन करेगा कि वह माल बेचते या खरीदते समय पंजीकृत व्यापारी है या था; या

(ख) जानबूझकर गलत रिटर्न प्रस्तुत करता है; या

(ग) इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए जानबूझकर विहित प्राधिकारी के समक्ष मिथ्या बिल, कर बीजक, नकद ज्ञापन, वाउचर, घोषणा, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा; या

(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन प्रमाणपत्र या घोषणा, बिल, नकद ज्ञापन, कर बीजक, वाउचर या अन्य

दस्तावेज जारी करता है, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह मिथ्या है; या

(ई) धारा 56 या धारा 61 या धारा 62 के तहत निरीक्षण या तलाशी या जब्ती करने वाले किसी भी अधिकारी को बाधित करता है, दोषसिद्धि पर, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो तीन साल तक बढ़ सकती है और तीन हजार रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(4) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के किए जाने में किसी व्यक्ति की सहायता करेगा या उसे दुष्प्रेरित करेगा, वह दोषसिद्धि पर उस अपराध के संबंध में विनिर्दिष्ट भांति के दंड का भागी होगा, जिसके किए जाने में उसने सहायता की है या दुष्प्रेरित किया है।

(5) उपधारा (1) से (4) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति के विरुद्ध इन उपधाराओं के अधीन निर्दिष्ट अपराध करने के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी यदि कर, ब्याज या शास्ति की चोरी या चोरी का प्रयास की गई कुल रकम पांच हजार रुपए से कम है।

(6) जहां किसी व्यापारी पर उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का आरोप है, वहां धारा 22 के अधीन व्यापारी के कारबार का प्रबंधक घोषित व्यक्ति भी दोषी समझा जाएगा।

82. अपराधों का संज्ञान-(1) धारा 81 में उपबंधित अनुसार, उक्त धारा के अधीन दिए गए दंड, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाए जाने वाले किसी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त या इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 81 के अंतर्गत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।"

11. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 को पुनः उद्धृत करना

समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

“5. संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड-

कोई भी व्यक्ति जो किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ को ऐसी परिस्थितियों में बनाता है या जानबूझकर अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में रखता है, जिससे यह उचित संदेह पैदा होता है कि वह उसे किसी वैध उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में नहीं है, जब तक कि वह यह नहीं दिखा देता कि उसने उसे किसी वैध उद्देश्य के लिए बनाया है या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में था, उसे दंडित किया जाएगा,-

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में, कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

(ख) किसी विशेष श्रेणी के मामले में विस्फोटक पदार्थ रखने पर कठोर आजीवन कारावास या किसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।”

12. **भजन लाल** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के कंडिका '102' को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसे यहां तत्काल संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना निहित हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से तथा

निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।"

13. **सुशील सेठी केस (उपरोक्त)** के कंडिका 7.2, 7.5, 8.1 और 8.2 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार हैं:-

7.2. *वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य*, [(2015) 8 एससीसी 293] में, इस न्यायालय ने यह देखा और माना है कि अनुबंध का हर उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरू से ही कोई धोखा हुआ हो। आगे यह भी देखा गया और माना गया कि ऐसे मामले में भी जहां आरोपी की ओर से अपना वादा निभाने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, प्रारंभिक वादा करने के समय दोषपूर्ण इरादे की अनुपस्थिति में, धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। आगे यह भी देखा गया और माना गया कि वास्तविक परीक्षण यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।

xxx xxx xxx

7.5. *शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे*, [(2015) 12 एससीसी 781] में, इस न्यायालय के पास प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी के अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का अवसर था, जहां कंपनी को शिकायत में पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया था। उपर्युक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया और माना गया कि प्रबंध निदेशक के खिलाफ प्रतिनिधिक दायित्व के विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति में, कंपनी को पक्षकार के रूप में नहीं रखे जाने की अनुपस्थिति में, ऐसे प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यह भी देखा गया और माना गया कि जब कोई शिकायतकर्ता किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी को फंसाने का इरादा रखता है, तो प्रतिनिधिक दायित्व का गठन करने के लिए अपेक्षित आरोप लगाना आवश्यक है।

xxx xxx xxx

8.1. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 420 सहपठित धारा 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया है। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एफआईआर और/या यहां तक कि आरोप-पत्र में कोई विशिष्ट आरोप और कथन नहीं है कि आरोपी का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा लेनदेन की शुरुआत से ही था। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि

मेसर्स एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड और सरकार के बीच अनुबंध तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए था। अपीलकर्ताओं ने परियोजना के लिए टर्बाइन किसी अन्य निर्माता से खरीदे। कंपनी ने उक्त टर्बाइनों का उपयोग बिजली परियोजना में किया। अनुबंध वर्ष 1993 में हुआ था। इसके बाद वर्ष 1996 में परियोजना चालू हुई। वर्ष 1997 में, विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन पर संतुष्टि प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। जनवरी 1998 में दोष दायित्व अवधि भी समाप्त हो गई। वर्ष 2000 में तीन टर्बाइनों में कुछ दोष पाया गया। तुरन्त टर्बाइनों को बदल दिया गया। बिजली परियोजना ने 1996 से ही काम करना शुरू कर दिया। अगर कंपनी/अपीलकर्ताओं का इरादा अरुणाचल प्रदेश सरकार को धोखा देना होता, तो वे उन टर्बाइनों को नहीं बदलते जो दोषपूर्ण पाए गए थे। किसी भी मामले में, शिकायत में कोई विशेष आरोप और कथन नहीं हैं कि आरोपी का अनुबंध में प्रवेश करते समय धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा था। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी बनाया गया है।

8.2. यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुख्य आरोप कंपनी के खिलाफ कहे जा सकते हैं। कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है। आरोप क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशक तक ही सीमित हैं। प्रबंध निदेशक या यहां तक कि निदेशक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं। प्रतिनिधि दायित्व का गठन करने के लिए कोई आरोप नहीं हैं। मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य [मकसूद सैय्यद बनाम गुजरात राज्य, (2008) 5 एससीसी 668: (2008) 2 एससीसी (सीआरआइ) 692] में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और माना गया है कि दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रतिनिधि दायित्व संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है, जब अभियुक्त कंपनी हो। यह भी देखा और माना गया है कि प्रबंध निदेशक और निदेशक की प्रतिनिधिक देयता उत्पन्न होगी, बशर्ते कि कानून में उस संबंध में कोई प्रावधान मौजूद हो। यह भी देखा गया है कि कानून में निर्विवाद रूप से ऐसी प्रतिनिधिक देयताओं को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता की ओर से अपेक्षित आरोप लगाना अनिवार्य है, जो प्रतिनिधिक दायित्व का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक होने के नाते ऐसे कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। इन परिस्थितियों में भी,

आरोपित आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना तथा उसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।"

14. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप का सार जो एफआईआर का आधार है, बी.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 के तहत कर का भुगतान न करना है। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ट्रांसपोर्टर है और याचिकाकर्ता संख्या 2 गोदाम प्रभारी है, जहां मुद्दे में केवल पटाखे और कुछ होजरी से संबंधित सामान थे। अनुलग्नक-3 श्रृंखला से यह भी प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने होजरी से संबंधित दोनों सामानों के लिए बी.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 81(2) के अनुसार 2,800/- रुपये की राशि और पटाखों के लिए 1,72,761/- रुपये की राशि का जुर्माना अदा किया है। विवादित संज्ञान आदेश यह भी नहीं दर्शाता है कि इस मामले में मंजूरी प्राप्त की गई थी, क्योंकि यह बी.वी.ए.टी. अधिनियम, 2005 की धारा 82(2) के मद्देनजर एक अनिवार्य पूर्व शर्त प्रतीत होती है। मुद्दागत माल याचिकाकर्ताओं के पास रहता है, जबकि यह पारगमन में था, जो पटाखे हैं, जिन्हें किसी भी विवेकपूर्ण कल्पना से गैरकानूनी वस्तु के रूप में नहीं कहा जा सकता है और, इस तरह, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए बुनियादी तत्व भी विश्वसनीय नहीं लगते हैं। यह आरोप नहीं लगाया गया है कि पारगमन के दौरान पटाखे बिना लाइसेंस के थे।

15. इस प्रकार, भजन लाल केस (सुप्रा) की कानूनी रिपोर्ट के दिशानिर्देश संख्या (1), (5) और (6) के अंतर्गत आने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले, और सुशील सेठी केस (सुप्रा) के तहत भी कंपनी के रूप में अभियुक्त नहीं बनाया गया था, तदनुसार, आरा (टाउन) पीएस केस संख्या 470/2014 में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक 14.03.2016 को पारित संज्ञान आदेश को याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ इसकी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ रद्द और अलग रखा जाता है।

16. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।